संख्या-116/2020/137 मंत्री/26-3-2020

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 सितम्बर 2020

विषय:-**राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चैरी-चैरा गोरखपुर में छात्रावास भवन एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-95/2020/1783/26-3-2020, दिनांक-16.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चैरी-चैरा, गोरखपुर के छात्रावास भवन तथा अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य की आगणित लागत रू0-48.00 लाख के स्थान पर रू0-147.92 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्यदायी संस्था सी0एन0डी0एस0 के स्थान पर यू0पी0 सिडको को नामित किया जाता है। शासनादेश दिनांक-16.07.2020 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

बाल कृष्ण त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या-116/2020/137 मंत्री (1)/26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9-प्रबंध निदेशक, सी0एन0डी0एस0, यू0पी0 जल निगम, लखनऊ।
10-प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
11-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in